भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1764

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

बैंक्विट हॉल

†1764. **श्री सतीश चन्द्र दुबे**:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शादी और अन्य सामाजिक सामारोह का आयोजन करने हेतु अनेक बैंक्विट हॉल बन रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये बैंक्विट हॉल नि:शक्तजन अनुकूल नहीं हैं और इनमें नि:शक्तजन सामाजिक समारोह में भाग नहीं ले सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त हॉलों में नि:शक्तजनों हेतु आसानी से प्रवेश और निकास के प्रबंध को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में ऐसे बैंक्विट हॉलों के संचालन का निरिक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में ऐसे बैंक्विट हॉलों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली अग्निशमन विभाग में आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही संचालित किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): **दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के उपबंधों के अनुसार, मिश्रित उपयोग विनियम के अंतर्गत अधिसूचित वाणिज्यिक सड़कों सहित औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में बैंक्विट हॉलों को अनुमति दी गई है।**

(ख) और (ग): नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि सभी बारात घर और समुदायिक केन्द्र नि:शक्त जन हितैषी हैं और नि:शक्त व्यक्तियों की सुगम पहुंच के लिए इन भवनों

.....2/-

में रैम्प और शौचालयों की व्यवस्था की गई है।

उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने सूचित किया है कि भवन उप-नियमों, 1983 के खण्ड-30 के अनुसार, सभी सार्वजनिक भवनों में नि:शक्त जनों के लिए उनमें निर्धारित सभी सुविधाओं सहित अड़चन-मुक्त वातावरण होना अपेक्षित है। भवन उप-नियमों, 1983/मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के उपबंधों का कोई भी उल्लंघन संगत अधिनियमों/प्रावधानों के अनुसार दांडिक कार्रवाई के लिए दायी होगा।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अधिकांश लाइसेंसीकृत बैंक्विट हॉल एक ही तल पर हैं और आगन्तुकों के लिए लिफ्ट की सुविधा मौजूद है ताकि किसी भी लाइसेंस प्राप्त

बैंक्विट हॉल में समारोह में भाग लेने के दौरान नि:शक्त जनों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(घ): दिल्ली अग्नि शमन सेवा विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली में भवनों का निर्माण समय-समय पर यथा संशोधित एकीकृत भवन उप-नियम, 1983 के उपबंधों के तहत अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में विभिन्न भवन प्राधिकरणों द्वारा विनियमित होता है। एकीकृत दिल्ली भवन उप-नियम के खण्ड संख्या 6.2.4.1/दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 के नियम 27 के दायरे के अंतर्गत आने वाले भवन, योजनाओं के अनुमोदन और अग्नि सुरक्षा संबंधी निदेश जारी करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग को संदर्भित किए जाते हैं। यह भी सूचित किया गया है कि 82 बैंक्विट हॉलों अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं, जबकि 44 बैंक्विट हॉलों के मालिकों को कमियों से अवगत कराया गया है।

*****